

01/12

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 14/03/22 को पेश हो ।

14/03/22

पत्रावली आज पेश हुई । वकील शादीगण
अपस्थित। वकील शादीगण विवादीगण के
समस्त खर्चों द्वारा भेजने का एक भौरे
करना चाहते हैं । अतिसं करार दिए जाकर
पत्रावली दिनांक 29-04-22 को पेश हो।

PM

सहायक कलेक्टर
SDO (गुडामालानी)

29/4/22

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 13/6/22 को पेश हो ।

13/6/22

पत्रावली पेश हुई ।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त है । अतः इत्तवा होकर
पत्रावली आइन्दा 23/7/22 को पेश हो ।

25/7/22

पत्रावली आज पेश हुई । वकील शादीगण
अपस्थित। शादीगण अस्थित। शादीगण
को मध्य मजिस्ट्रेट कोर्टे समय में तीन बार तीन
तीन बारके दिनांक गयी वरवत्स कावले दिनांक
दिनांक के अस्थित रहने के लिये न्यायालय
द्वारा जारी 27.11.19 क.न.दि. विधेयान्त विरस्त
की कतर उकरा शादीगण की कतर शादीगण
का पेशी के रकारिद दिना जाला वे कतर
दिनांक सुकर उकर दिखिल उपलब्ध हो।

PM

सहायक कलेक्टर गुडामालानी



सवामे,

श्रीमान सहायक कलक्टर (SDO) महोदयजी

गुडामालानी - बाडमेर

प्रार्थीगण :-

बाडमेर गोल्डन सर्विस स्टेशन गाधव जरिये मालिक

1. किशोरकुमार पुत्र नारायणदास उम्र 52 वर्ष
2. चन्द्रप्रकाश पुत्र किशोरकुमार उम्र 30 वर्ष
जातियान सिन्धी निवासी गाधवकला,
तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगण :-

1. रामाराम पुत्र भलाराम
2. भीमाराम पुत्र भलाराम
3. श्रीमति लेहरो पत्नी भलाराम
4. खेमाराम पुत्र धुडाराम जातियान कुम्हार निवासी
गाधवकला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
5. तहसीलदार गुडामालानी

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान कांश्तकारी

अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया

सहिता वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा

(Signature)

(Signature)

1. कि प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188,207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया है जिसमें वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का वाद प्रथम दृष्टया प्रमाणित है जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।
2. कि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी मौजा गाधवकला पटवार हल्का गाधवकला तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 310/144 रकबा 1.19 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी के नक्शा व जमाबन्दी प्रसंग हेतु सलग्न पेश है।
3. कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी के पास ही विप्रार्थी सख्या 1 से 4 का खेत खसरा नम्बर 144/5 रकबा 3.09 बीघा, तथा खसरा नम्बर 144 रकबा 7.09 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है। प्रसंग हेतु नक्शा व जमाबन्दी सलग्न पेश है।
4. कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की अलग खातेदारी व कब्जा काश्त की है जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा व काश्त है जिसमें प्रार्थीगण ने अपने रहवास हेतु रहवासीय तमीरात बना रखा है तथा जिसमें प्रार्थीगण शांति पूर्वक काश्त कर वादग्रस्त आराजी का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।
5. कि विप्रार्थीगण व उसके परिवार बड़ा होने से प्रार्थीगण से हमेशा झगडा फसाद करते रहते हैं तथा प्रार्थीगण हमेशा ही गाव के मौजिज लोगों से समझाइश करवाकर निपटारा करता है क्योंकि प्रार्थीगण शांति प्रिय व्यक्ति है, सतोष में